

FORM NO.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

संतोष देवी

बनाम

शंभू लाल करीक

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

188/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>संतोष देवी</u></p> <p>पिता श्री <u>जगदीश चन्द करीक</u></p> <p>निवासी- <u>नोरला</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>नोरला</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>आराजी नम्बर 444, 548, 571, 572, 69 (पत्थरपुरा 9.8. नोरला)</u></p> <p>कुल कीता <u>4+1+1+8+2=16</u> कुल रकबा <u>4.41</u> हे० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नोरला</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>795, 797, 800, 801, 802, 802, 802/2468, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 815, 224, 226</u></p> <p>कुल कीता <u>16</u> रकबा <u>4.41</u> हे० की बिना किसी कच्चे में दरखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अतरे <u>5 हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्मित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बी. न. देवस)</p> <p style="text-align: right;">महाकम कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>